यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारी, नैनीताल के माह 05/2012 से 06/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री ललित थपलियाल व श्री सूर्य पाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 24.07.2017 से 27.07.2017 तक श्री पी.सी.श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः तहसील, धारी, नैनीताल

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	114.7	95.2	3.01	2.88	-	-
2013-14	-	-	134.22	118.57	4.55	3.86	-	-
2014-15	-	-	139.44	125.12	5.66	5.14	-	-
2015-16	-	-	147.55	140.49	7.15	6.38	-	-
2016-17	-	-	182.30	155.35	5.32	5.14	-	-
2017-18	-	-	68.67	48.8	2.23	-	-	-

(ब) **Autonomous Bodies** की इकाईयों के विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरणः शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई श्रेणी 'सी' की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

मुख्य सचिव/अध्यक्ष राजस्व परिषद्
प्रमुख सचिव (राजस्व)
सचिव राजस्व/राजस्व आयुक्त
आयुक्त कुमाऊं मण्डल
अपर सचिव (राजस्व)
जिलाधिकारी
अपर जिलाधिकारी
उपजिलाधिकारी
तहसीलदार
नायब तहसीलदार

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। । यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपजिलाधिकारी, धारी, नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2015, 06/2015 एवं 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 व 16, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-II 'अ'

शून्य

भाग-II 'ब'

<u>प्रस्तरः1-</u> राजस्व वसूली प्रमाण- पत्रों (आर.आर.सी.) के विरुद्ध की गयी वसूली पर रू .68 लाख का संग्रह व्यय की कटौती न किया जाना व रू 2.35 लाख की वसूली लम्बित रहना।

उ0प्र0 संग्रह संहिता, एवं ऊ0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम जो कि उत्तराखण्ड में भी प्रभावी है के प्रावधानों के तहत जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रेषित राजस्व वसूली प्रमाण - पत्रों (आर.आर.सी.) को वसूली हेतु तहसील कार्यालय को अग्रेषित किया जाता है।

तहसील धारी, नैनीताल के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में आर.आर.सी. के विरूद्ध कुल वसूली पर रू 68262 का संग्रह प्रभार कटौती नही की गयी थी, एवं वर्षान्त तक रू 2.35 लाख की वसूली लम्बित थी।

इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किये जाने पर उत्तर दिया गया कि आर. सी. की वसूली एक नियमित प्रक्रिया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि संग्रह प्रभार की कटौती आर.आर.सी के विरूद्ध गई धनराशि के साथ ही कर ली जानी चाहिए थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-02 ₹ 19600 राजकीय वाहन वसूली की कटौती न किया जाना।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 710/दस-सं.वि.-नित-2-97, दिनांक 29 मई, 1999 के अनुसार यदि किसी अधिकारी को राजकीय वाहन आबंटित है, वह उसका निजी उपयोग करे या न करे, उसके वेतन से प्रतिमाह (पेट्रोल कार के लिए ₹ 500 व जीप के लिए ₹ 400 की) कटौती की जानी चाहिए।

वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग के शासनादेश संख्याः 84/XXVII(7)50(06)/2017 दिनांक 07 जून, 2017 के अनुसार मई, 2017 से रू 2000 की कटौती की जानी चाहिए।

कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारी, नैनीताल के वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया की निम्न अधिकारियों के वेतन से राजकीय वाहन वसूली की कटौती नहीं की गयी है

(धनराशि ₹ में)

अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि		कुल माह
		कब से	कब तक	
श्री अनिल कुमार शुक्ला	तहसीलदार	05/12	11/12	07*400=₹2800
श्री भुवन चन्द्र काण्डपाल	तहसीलदार	12/13	05/14	06*400=₹2400
श्री नवाजिश खलीक	प्रभारी तहसीलदार	08/15	06/16	11*400=₹4400
श्री नवाजिश खलीक	तहसीलदार	07/16	04/17	10*400=₹4000
श्री नवाजिश खलीक	तहसीलदार	05/17	07/17	03*2000=6000
योग				**₹ 19600**

सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने जवाब दिया कि संबंधित अधिकारियों से जी.वी.आर. की वसूली कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

प्रकरण उच्चाधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	प्रस्तर का विवरण
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, धारी, नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

   1.03/2014,03/2015,06/2015,एवं 03/2017 के वाउचर प्रस्तुत नही किए गए।
2. सतत् अनियमितताएः शून्य
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री चन्द्र सिंह इमलाल	उपजिलाधिकारी	21.08.2010	06.02.2014
2.	श्री राकेश चन्द्र तिवारी	उपजिलाधिकारी	06.02.2014	22.09.2016
3.	श्री प्रमोद कुमार	उपजिलाधिकारी	23.09.2016	04.11.2016
4.	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	05.11.2016	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उपजिलाधिकारी, धारी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार (सामान्य क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र